राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–2320/2015

यादराम यादव **–अपीलार्थी**

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2), विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर एवं अन्य।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 29.08.2023

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री देवाशीष पंचोली, अधिवक्ता।

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री पुष्पेन्द्र पाल सिंह, अति. राजकीय अधिवक्ता।

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य(न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. इस अपील में यह तथ्य अंकित किये गये हैं कि अपीलार्थी का पदस्थापन चिकित्सा अधिकारी के पद पर पीएचसी ग्राम बाय, तहसील दाता–रामगढ जिला सीकर में किया गया था। अपीलार्थी को यह जानकारी प्राप्त हुई कि पीएचसी बाय की दिनांक 18.04.2012 को ऑडिट हुई है, जिसमें ऑडिट टीम ने अपीलार्थी के विरूद्ध ऑडिट पेरा बनाया है, जो आधारहीन है। ऑडिट टीम की रिपॉर्ट के अनुसार कार्यवाही की जा रही है, जो गलत है। अपीलार्थी ने ऑडिट रिपॉर्ट की प्रति की मांग की।
2. अपीलार्थी की ओर से कथन किया गया है कि अपीलार्थी को पत्र दिनांक 27.06.2012 दिया गया, जिसमें यह निर्देश दिया गया है कि आंतरिक जांच के पेरा संख्या 9 में मकान किराये का भी नियमित भुगतान 18.09.2010 से 31.05.2012 तक 42905/– खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, दांता को जमा कराये। अपीलार्थी ने आंतरिक जांच दल के दौरान पेरा संख्या 9 के क्रम में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया है, जिसमें यह अंकित किया है कि पंचायत समिति द्वारा आवास गृह में निवास स्थान निर्मित है, जो प्रवासिका आवास गृह निर्माण योजना के अंतर्गत जारी प्रशासनिक स्वीकृति के क्रम में निर्मित है। उक्त गृह के अलावा चिकित्सालय परिसर में कोई आवास निर्मित नहीं किया गया है। अर्थात् चिकित्सा अधिकारी हेतु चिकित्सालय में आवास निर्मित नहीं है। अंकेक्षण प्रतिवेदन के पेरा संख्या 9 में यह उल्लेख किया गया है कि पीएचसी बाय के परिसर में बने आवास में डॉ यादराम यादव द्वारा निवास किया जाना बताया गया है। वास्तविक रूप से जब चिकित्सालय परिसर में चिकित्सा अधिकारी हेतू आवास निर्मित ही नहीं है तो आवास आंवटन के अभाव में प्रार्थी को मकान किराया भत्ता (एच.आर.ए.) का भुगतान नियमानुसार सही है। जिसकी वसुली किया जाना कतई

न्यायोचित नहीं है और सामान्य वित्तिय एवं लेखानियम तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों व परिपत्रों के प्रतिकूल भी है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क रहा है कि अपीलार्थी ने चिकित्सालय परिसर में चिकित्सा अधिकारी हेतु आवास उपलब्ध नहीं होने आधार पर एच.आर.ए. का भुगतान नियमानुसार प्राप्त किया है। अपीलार्थी को ऑडिट टीम ने पीएचसी परिसर में बने आवास में निवास करना बताया है। अतः उक्त ऑडिट पेरा गलत प्रकार से तैयार किया गया है, जिसका कोई आधार नहीं है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का आगे यह भी तर्क रहा है कि पीएचसी, बाय में कार्यरत प्रवासिका गुलाब मीणा द्वारा एचआरए की स्वीकृति हेतु कोई आंवटित नहीं किया गया। इसका तात्पर्य यह है कि प्रवासिका के मकान में गुलाब मीणा स्वयं निवास कर रही थी। ऐसे में अपीलार्थी को प्रवासिका के आवास में निवास करना ऑडिट टीम ने गलत माना है। पूर्व में अपीलार्थी ने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका संख्या 14589/2013 प्रस्तुत की गई है, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिनांक 21.07.2014 पारित कर अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के आदेश दिये थे एवं प्रत्यर्थी विभाग को समस्त तथ्यों को सत्यापित कर अभ्यावेदन को निर्णित करने के आदेश दिये थे। इसके अनुसार अपीलार्थी ने अपना अभ्यावेदन प्रत्यर्थी विभाग में प्रस्तुत किया था, जिसमें प्रत्यर्थी विभाग ने कोई आदेश पारित नहीं किया। इस पर अपीलार्थी ने अवमानना याचिका माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की। इसके उपरांत अपीलार्थी का अभ्यावेदन दिनांक 20.07.2015 के द्वारा निर्णित किया गया। अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी का अभ्यावेदन सही प्रकार से निर्णित नहीं किया गया है, जिसमें तथ्यों की सही तरह से जांच नहीं की गई है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का यह भी कथन है कि अपीलार्थी संबंधित समय में रामचरण पुजारी यहां पर किराये पर निवास कर रहा था। जिसके द्वारा शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया है एवं रसीद भी दी गई है।

3. प्रत्यर्थी विभाग ने जवाब प्रस्तुत कर यह कथन किया है कि अपीलार्थी के द्वारा नवनिर्मित प्रसाविका आवास गृह में निवास/उपभोग किये जाने की जानकारी अंकेक्षण दल के सदस्यों द्वारा चिकित्सा संस्थान बाय के निरीक्षण के दौरान प्रकाश में आई तथा अपीलार्थी के द्वारा राजकीय आवास का उपभोग करते हुए मकान किराया भत्ता स्वीकृत करवाकर भुगतान उठाये जाने को सामान्य एवं वित्तीय लेखा नियमों के तहत सही नहीं मानते हुए डॉ. यादव के विरूद्ध अंकेक्षण दल ने राशि 42905/– की वसुली निकाली, जो सही थी क्योंकि कोई भी सरकारी अधिकारी/कर्मचारी सरकारी आवास का

उपभोग करते हुए मकान किराया भत्ते का लाभ नहीं ले सकता हैं। वर्ष 2002–03 में चिकित्सालय परिसर में निर्मित राजकीय प्रसाविका आवास गृह का निर्माण होने एवं हैंडऑवर होने की सूचना उनके द्वारा ब्लाक कार्यालय को नहीं दी गई थी। इस कारण से उक्त चिकित्सा संस्थान में राजकीय आवास निर्माण हो चुका हैं और उपयोगार्थ होने की जानकारी ब्लाक स्तर पर नहीं थी। डॉ. यादराम के द्वारा नवनिर्मित प्रसाविका आवास गृह में निवास/उपभोग किये जाने की जानकारी अंकेक्षण दल के सदस्यों द्वारा चिकित्सा संस्थान बाय के निरीक्षण के दौरान प्रकाश में आई। डॉ. यादराम के द्वारा राजकीय आवास का उपभोग करते हुए मकान किराया भत्ता स्वीकृत करवाकर भुगतान उठाये जाने को सामान्य एवं वित्तीय लेखा नियमों के तहत सही नहीं मानते हुए डॉ. यादव के विरूद्ध अंकेक्षण दल ने राशि 42905/– की वसुली निकाली, जो सही थी क्योंकि कोई भी सरकारी अधिकारी/कर्मचारी सरकारी आवास का उपभोग करते हुए मकान किराया भत्ते का लाभ नहीं ले सकता हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विर्निणय वी. गंगाराम में यह कहा है, कि अधिक भुगतान की रिकवरी कर्मचारी से की जा सकती है। डॉ. यादराम यादव, तत्कालीन चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बाय के विरूद्ध जो 42905/– रूपये की वसुली निकाली वह नियमानुसार सही थी, क्योकिं कोई भी सरकारी अधिकारी/कर्मचारी राजकीय आवास गृह का उपभोग करते मकान किराया भत्ते का लाभ नहीं ले सकता हैं।

4. दोनों पक्षों द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया गया। इस अधिकरण द्वारा अपीलार्थी द्वारा दिये गये अभ्यावेदन पर आदेश दिनांक 20.07.2015 पारित किया है, जिसमें अपीलार्थी द्वारा उठायी गयी आपत्तियों के बारे में जांच किया जाना प्रकट होता है। अभ्यावेदन को तय करते समय उक्त आदेश दिनांक 20.07.2015 में यह माना गया है कि उपलब्ध रिकार्ड एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सीकर से प्राप्त तथ्यात्मक टिप्पणी के अनुसार तत्समय पदस्थापित श्रीमती गुलाब देवी मीणा, प्रसाविका ने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बाय में बने हुये विवादित आवास को आवंटित करने के लिये आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया, इससे स्पष्ट है कि प्रसाविका को यह आवास आवंटित नहीं किया गया एवं डॉ. यादव जो कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बाय में इन्चार्ज थे, ने इस आवास का स्वयं ने उपभोग किया। डॉ. यादव ने गलत तथ्यों के आधार पर मकान विराया भत्ता स्वीकृत करने के लिये खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, दाता को आवेदन प्रस्तुत किया, जिसके आधार पर ही उन्हें मकान किराया भत्ता स्वीकृत करने हेतु स्वीकृति

जारी हुई थी, परन्तु वास्तव में इस परिसर में डॉ. यादव ही काबिज रहे एवं इनके द्वारा ही इसका उपभोग किया जाना तथ्यों के आधार पर प्रमाणित होता है। इस प्रकार अभ्यावेदन को निर्णित करते समय तथ्यों पर गौर किया गया है एवं यह पाया गया है कि अपीलार्थी पीएचसी बाय में इनचार्ज थे और वहां निर्मित आवास में रह रहे थे। अभ्योवदन को निस्तारित करने में हम कोई त्रुटि होना नहीं पाते है। अपीलार्थी के विरूद्ध कोई दुर्भावना होना हम नहीं पाते हैं। अपीलार्थी द्वारा यह तथ्य अंकित किये गये हैं कि अपीलार्थी रामचरण पुजारी के आवास पर किराये पर निवास कर रहे थे। जिसके संबंध में शपथ पत्र एवं रसीद भी प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये शपथ पत्र एवं रसीद से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी द्वारा पूर्व में दिये गये अभ्यावेदन में कहीं भी यह अंकित नहीं किया गया है कि वो रामचरण पूजारी के मकान में निवास कर रहे थे। रामचरण पूजारी के यहां निवास करना After thought माना जा सकता है, जो स्वीकार योग्य नहीं है।

5. अतः प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी के अभ्यावेदन को निर्णित किये जाने में हम कोई त्रुटि नहीं पाते हैं। अतः इस अपील में कोई बल नहीं होने से अपील खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)